



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 52-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019 (PAUSA 3, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

संख्या 11/10/2019 4 श्रम.— पंजाब कारखाना नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनका इससे प्रभावित होने की संभावना है;

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हों, सहित, जो श्रम आयुक्त-कम-मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब कारखाना (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब कारखाना नियम, 1952 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 42में, खंड (ख) के बाद, अंत में, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“(ग) महिलाओं के शौचालयों में उनके उपयोग के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध तथा बनाये रखे जाएंगे और दैनिक आधार पर उसकी भरपाई की जाएगी;

(घ) उपयोग किए गए नैपकिन के संग्रह के लिए महिलाओं के शौचालयों में ढक्कन वाले कूड़ेदान उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार उपयोग किए गए नैपकिनों का निस्तारण किया जाएगा”।

3. उक्त नियमों में, नियम 66(च) के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“66(छ)व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.—(1) अधिभोगी प्रत्येक श्रमिक को अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से प्रदान करवाएगा और ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भारतीय मानकों की प्रासंगिकता के अनुरूप होंगे। अधिभोगियों द्वारा श्रमिकों से ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग करने की अपेक्षा की जाएगी और अधिभोगियों द्वारा उन्हें उचित काम करने की स्थिति में रखा जाएगा और उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के उपबन्ध, किसी कारखाने में उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को लागू होंगे, अर्थात्:-

- (i) सुरक्षा हेलमेट: ऐसे सभी श्रमिकों, जिनको सिर की चोट लगने के किसी भी खतरे के संपर्क में आने की संभावना है, को प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा हेलमेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। जब ऊंचाई पर कार्य किया जा रहा हो, तो ऐसे सुरक्षा हेलमेट को बाधने वाली पट्टी के साथ उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसी संघात के प्रभाव को रोकने वाले सुरक्षा हेलमेट का पुनः उपयोग नहीं किया जाएगा। आकार या रूप में किसी भी विकृति की जांच के लिए आवधिक सफाई तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा;
- (ii) सुरक्षात्मक जूते: अधिभोगी द्वारा प्रत्येक श्रमिक को प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक जूते प्रदान किये जाएंगे जो ऐसे खतरों के संपर्क में हों, जिसके कारण उनके पैर या नाखून पर सामान गिरने से चोट लगने की संभावना हो या किसी अन्य धारदार वस्तु के तले में घुसने की संभावना हो। कार्यस्थल पर उपयोग किये जाने वाले जूतों किस्म तथा प्रकृति का निर्धारण ऐसे कार्यस्थलों पर किए जा रहे कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिभोगी द्वारा किया जाएगा। त्वचा के संक्रामक फंगल संक्रमण को रोकने के लिए उचित कीटाणुशोधन किया जाएगा, जो प्रभावित क्षेत्रों की स्केलिंग, फ्लेकिंग और खुजली का कारण बनता है। सुरक्षात्मक जूता पहनने के पश्चात श्रमिकों को अंतर्वधित नाखून, मेटाटार्सल गिया, ऐंड़ी की कील, मुड़ी हुई उंगलियाँ और तंत्रिका क्षति से पीड़ित होने से बचाने के लिए उचित चिकित्सा देखभाल की जाएगी;
- (iii) सुरक्षात्मक चश्मे: प्रत्येक श्रमिक को उड़ने वाले कणों तथा टुकड़ों, बिखरने वाली सामग्री, पिघली हुई घातुओं का हानिकारक चूरा, गैसों या वाष्पों, एरोसोल तथा विकरणों जैसे खतरों, जिनसे नेत्रहीन होने या नेत्र को नुकसान होने की संभावना हो, से नेत्रों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उनके अतिभोग चश्मों पर अतिरिक्त नेत्र सुरक्षा प्रयुक्त की जाएगी यह सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षात्मक चश्मों उनके पहनने के शीशों की स्थिति को प्रभावित नहीं करें;
- (iv) वेल्डिंग के दौरान नेत्र और चेहरे की सुरक्षा के लिए उपकरण: किसी गैस की लौ या विद्युतीय आर्क के उपयोग से वेल्डिंग, कटिंग तथा समरूप कार्यों के दौरान हानिकारक विकिरण, धिगारी तथा गर्म धातु के कणों से ऑपरिटर के बचाव के लिए आशयित प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप अपेक्षित हेलमेट तथा अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे;
- (v) दस्ताने और सुरक्षात्मक कपड़े: श्रमिकों के हाथों को घायल होने से बचाने के लिए प्रत्येक श्रमिक को प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार उपयुक्त दस्ताने, चमड़े के गैलेंट तथा मिटन उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां हाथ खतरों के संपर्क में हो जैसे हानिकारक पदार्थों से त्वचा अवशोषण, गंभीर घाव या अपगंता, गंभीर खरोंच, छेदन, रासायनिक जलन, गर्मी-संबंधी जलन तथा चरम हानिकारक तापमान। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार उपयुक्त ऐप्रन(रबर से बने, अम्ल तथा क्षार प्रतिरोधी) प्रयोग किए जाएंगे, जहां पर उनकी त्वचा को किसी भी खतरे के सम्पर्क में आने की सम्भावना हो।
- (vi) शोर के सम्पर्क में आने पर कान की सुरक्षा: जब ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक हो, तो प्रत्येक श्रमिक को शोर के प्रभाव से बचाव के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों का अनुरूप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, कान में संक्रमण, बहाव तथा दर्द इत्यादि से होने वाले बहरेपन से बचाव के लिए पुनः उपयोग होने योग्य कान संरक्षक का सामायिक कीटाणुशोधन किया जाएगा।
- (vii) श्वसन सुरक्षा: प्रत्येक श्रमिक को धूल, धुएँ, गैस आदि के कणों से श्वसन सुरक्षा के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। लंबे समय तक श्वसन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रयोग करने के कारण होने वाले चिड़चिड़ेपन, सूजन तथा नाक पर घाव आदि से बचाव के लिए उचित रोग विषयक परीक्षण तथा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा;

(viii) अन्य सुरक्षा उपकरण: अधिभोगी द्वारा श्रमिकों को खतरों की प्रकृति के आधार पर प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (क) सुरक्षा पेटी जीवन रक्षक रस्सियों के साथ, जहां पर गिरने से बचाव के लिए दूसरे उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते;
- (ख) लाईफवेस्ट तथा परिरक्षक, जहां पर पानी में गिरने का खतरा हो;
- (ग) वहां विशिष्ट परिधान या परावर्तक उपकरण या अन्यथा स्पष्टता से दिखाई देने वाली सामग्री, जहां पर नियमित चलने वाले वाहनों से खतरा हो।

(3) उप-नियम (1) तथा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरीक्षक, किए जाने वाले कार्य और प्रक्रिया में शामिल खतरों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधिभोगी या प्रबंधक को विशेष खतरों से बचाव के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसा आवश्यक समझे, की आपूर्ति के लिए लिखित आदेश दे सकता है।

विनीत गर्ग,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
LABOUR DEPARTMENT**

Notification

The 16th December, 2019

No. 11/10/2019-4Lab.— The following draft of rules further to amend the Punjab Factory Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposed to make, in exercise of the powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of section 115 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh, from any person in respect of the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Punjab Factory (Haryana Second Amendment) Rules, 2019.
2. In the Punjab Factory Rules, 1952 (hereinafter called the said rules), for rule 42, after the clause (b), the following clauses shall be added at the end, namely:-
 - “(c) Sanitary Napkins of adequate quantity conforming to Indian Standards shall be provided and maintained in the women’s toilets for their use and the same shall be replenished on daily basis.
 - (d) Disposable bins with lids shall be provided within the women’s toilets for the collection of the used napkins. The used napkins shall be disposed off in such manner, as may be approved by the State Government.”.
3. In the said rules, after rule 66(F), the following rule shall be inserted, namely:-

“66(G). Personal Protective Equipments.- (1) The occupier shall provide each worker with personal protective equipments as required under any of the provisions of the Act or the Rules framed thereunder and such personal protective equipments shall conform to the relevant Indian Standard. The occupiers shall require the workers to use such personal protective equipments. The same shall be maintained in proper working conditions by the occupier and shall be provided free of charge.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be applicable to the following types of personal protective equipments for use in a factory, namely:-

 - (i) Safety Helmet.- Each worker who is likely to be exposed to any hazard which may cause head injury shall be provided with safety helmets conforming to relevant Indian Standards and shall be adequately trained on proper use of such personal protective equipments. When work at height is being carried out, such safety helmet shall be provided with a nape strap. No safety helmet which has resisted an impact shall be reused. Periodic cleaning and visual inspection to check any deformation in size or shape shall be carried out.

- (ii) Protective Footwear.-Each worker who is exposed to hazards which are likely to cause injury to him by way of materials being dropped on his feet or nail or other sharp objects penetrating his sole shall be provided protective footwear conforming to relevant Indian Standards by the occupier. The type and nature of foot wear to be used at workplaces shall be decided by the occupier based on nature of work being carried out at such work place. Proper disinfection shall be carried out to prevent contagious fungal infection of the skin that causes scaling, flaking, and itching of the affected areas. Proper medical care shall be carried out to prevent the worker from suffering from ingrown nails, metatarsalgia, heel spur, hammer toes and nerve damage after wearing safety shoe.
- (iii) Safety Goggles and spectacles.-Each worker shall be provided adequate equipments conforming to relevant Indian Standards for protection of eyes against hazards such as flying particles and fragments, splashing materials and molten metal's harmful dust, gases or vapours, aerosols and radiations which are likely to impair vision or damage the eyes. Additional eye protection over their prescription lenses shall be used ensuring that the protective eyewear does not disturb the proper positioning of the prescription lenses.
- (iv) Equipment for eye and face protection during welding.- Each workers shall be provided requisite goggles, hand shield, helmet and other personal protective equipments conforming to relevant Indian Standards intended to protect the worker from harmful radiation, spark and particles of hot metal during welding, cutting and similar operations employing a gas flame or electric arc.
- (v) Gloves and Protective Clothing.-Each worker shall be provided suitable gloves, leather gauntlets and mittens conforming to relevant Indian Standard for protection of hands of the worker from getting injured where the hands are exposed to hazards such as those from skin absorption of harmful substances, severe cuts or lacerations, severe abrasions, punctures, chemical burns, thermal burns and harmful temperature extremes. Suitable proactive clothing as per relevant Indian Standards available for apron (Rubberized, acid and alkali resistant) shall be used for protection of workers who are likely to be exposed to any hazard which may cause injury to their skin.
- (vi) Ear protection when exposed to noise,-Each worker shall be provided personal protective equipments conforming to relevant Indian Standards for protection against the effects of noise exposure when the sound levels exceed the prescribed Standards. Periodic disinfection of reusable ear protectors shall be carried out to eliminate hearing loss caused by infection, discharge, pain etc. in the ear.
- (vii) Respiratory protection.-Each worker shall be provided with personal protective equipments conforming to relevant National Standards for respiratory protection against dust, fumes, gases, particulates etc. Clinical examination and appropriate medical testes shall be undertaken to avoid Irritant dermatitis, nose bridge sores, etc. because of prolong use of respiratory personal protective equipments.
- (viii) Other protective equipment.-Each worker shall be provided the following appropriate personal protective equipment based on the nature of hazards as per the relevant Indian Standards by the occupier, namely:-
 - (a) safety harnesses with independently secured lifelines where protection against falls cannot be provided by other appropriate means;
 - (b) life vests and life preservers where there is a danger of falling into water;
 - (c) distinguishing clothing or reflective devices or otherwise conspicuously visible material when there is regular exposure to danger from moving vehicles.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-rules (1) and (2), the Inspector may, having regard to the nature of the hazards involved in work and process being carried out, by order in writing, direct the occupier or the manager to supply each worker exposed to particular hazard any personal protective equipments conforming to relevant Indian Standards, as may be found necessary.”.

VINEET GARG,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.